सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2011/00004 दर्ज तिथिः–20.05.2011

चिमनसिंह के कायम मुकाम
1. अर्जुनसिंह पुत्र चिमनसिंह
2. जगमालसिंह पुत्र चिमनसिंह
3. देशुकंवर पत्नी चिमनसिंह

जाति राजपूत निवासी नया नगर तहसील गुडामालानी बाडमेर।

.......................वादी

बनाम

1. रामसिंह पुत्र भूपसिंह के कायम मुकाम
   1/1 मदनसिंह पुत्र रामसिंह
   1/2 शम्भूसिंह पुत्र रामसिंह
   1/3 शैतानसिंह पुत्र रामसिंह
   1/4 हरीसिंह पुत्र रामसिंह
   1/5 मनोहरसिंह पुत्र रामसिंह
   1/6 उगमकंवर पत्नी रामसिंह
   जाति राजपूत निवासी नया नगर, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
2. बलवन्तसिंह पुत्र भूपसिंह
3. जोगसिंह पुत्र राणसिंह के कायम मुकाम
   3/1 शोभाकंवर पत्नी जोगसिंह
   3/2 नाबालिग खुशबूकंवर पुत्री जोगसिंह
   3/3 नाबालिग दिलखुशकंवर पुत्री जोगसिंह
   3/4 नाबालिग दीक्षा राठोड़ पुत्री जोगसिंह
   जाति राजपूत निवासी नया नगर तहसील गुड़ामालानी
4. देवीसिंह पुत्र राणसिंह
5. रेखाकंवर पत्नी राणसिंह के कायम मुकाम
   5/1 एवनकंवर पुत्री राणसिंह
   5/2 सुरमकंवर पुत्री राणसिंह
   5/3 देवीसिंह पुत्र राणसिंह प्रतिवादी संख्या 4
6. शिवसिंह पुत्र अर्जुनसिंह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 12 चुनी कंवर पत्नी शिवसिंह
7. जीवराजसिंह पुत्र सोहनसिंह
8. छैलसिंह पुत्र सोहनसिंह
9. उगमकंवर पत्नी सोहनसिंह
10. कुंपसिंह पुत्र हेमसिंह
11. कमलसिंह पुत्र हेमसिंह
12. चुनीकंवर पत्नी शिवसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:36:03 IST
Reason: SelfAttested

जाति राजपूत निवासी नया नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

......................असल प्रतिवादी

13. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. गुड़ामालानी
14. शाखा प्रबंधक थार आंचलिक ग्रामीण बैंक सड़ा
15. तहसीलदार गुडामालानी।

..............तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री रामजीवन विश्नोई
प्रतिवादीगणः— एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—28.04.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त हाल आराजी खसरा संख्या 766/5.6980 है0, 495/5.5442 है0, 764/4.5406 है0, 814/2.2824 है0, 820/2.2096 है0, 821/6.0217 है0 वाके ग्राम नया नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा बाद विधिवत तामील जरीये असालतन—वकालतन उपस्थित न्यायालय होकर जवाबदावा मय प्रतिदावा पेश किया। परंतु प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता के लम्बे अर्से से हाजिर न्यायालय नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में विद्वान अभिभाषक वादीगण की जिरह सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादी ने दौरान ए जिरह

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:36:03 IST
Reason: SelfAttested

संयुक्त आराजी में से अपना खाता मुताबिक जमाबंदी पृथक कर बंटवारा किये जाने का निवेदन किया।

3. प्रकरण में तनकीयात कायम किए गये। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए—

दस्तावेज	संवत/विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी	खाता संख्या 132 जमाबंदी—2065—2068	प्रदर्श—01
जमाबंदी	खाता संख्या 136 जमाबंदी—2065—2068	प्रदर्श—02
जमाबंदी	खाता संख्या 133 जमाबंदी—2065—2068	प्रदर्श—03
नक्शा	राजस्व ग्राम नया नगर	प्रदर्श 04
नक्शा	राजस्व ग्राम नया नगर	प्रदर्श 05
डिक्री	उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी दिनांक 20.07.1996	प्रदर्श 06

4. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए—

नाम	जाति	निवासी	गवाह
जगमालसिंह पुत्र चिमनसिंह	राजपूत	नया नगर	पी.डब्ल्यू.—01
गणपतसिंह पुत्र रूगसिंह	राजपूत	नया नगर	पी.डब्ल्यू.—02
जेताराम पुत्र मोतीराम	भील	नया नगर	पी.डब्ल्यू.—03
अर्जुनसिंह पुत्र चिमनसिंह	राजपूत	नया नगर	पी.डब्ल्यू.—04

5. प्रकरण में अभिभाषक वादी द्वारा दौरान—ए—बहस बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने पर सहमति प्रदान करने पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 21.10.2024 को जारी की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/356 दिनांक 03.03.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/356 दिनांक 03.03.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:36:03 IST
Reason: SelfAttested

21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 25.02.2025 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़मालानी के नोटिस पत्रांक 534–55 दिनांक 17.02.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 25.02.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़मालानी के नोटिस पत्रांक 534–55 दिनांक 17.02.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 25.02.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

6. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2073–2076 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 766/5.6980 है0, 495/5.5442 है0, 764/4.5406 है0, 814/2.2824 है0, 820/2.2096 है0, 821/6.0217 है0 वाके ग्राम नया नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन–प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा–ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

7. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जिन पर विश्लेषण इस प्रकार हैः–

प्रथम– स्वामित्व एंव कब्जाः– [illegible] के बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में [illegible]या [illegible]वेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में [illegible] होकर खाते की आराजी के एकल

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:36:03 IST
Reason: SelfAttested

खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह–काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय– सुविधा का सन्तुलनः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं । प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय– अपूरणीय क्षतिः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

8. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 766/5.6980 है0, 495/5.5442 है0, 764/4.5406 है0, 814/2.2824 है0, 820/2.2096 है0, 821/6.0217 है0 वाके ग्राम नया नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
अर्जुनसिंह पुत्र चिमनसिंह हि0 3/4	नया नगर	495	2.0790	बा0सो0
जगमालसिंह पुत्र चिमनसिंह हि0 3/4		814	0.8559	चा0सो0
देसुदेवी पत्नी चिमनसिंह हि0 1/4		820	1.8697	चा0चार
जाति राजपूत सा0 देह खातेदार		820	0.0939	चा0चार
रहन–जमाबंदी बदस्तूर		821	3.6425	बा0अ0
कुल किता 05 रकबा [illegible]10 है0				

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:36:03 IST
Reason: SelfAttested

मदनसिंह पुत्र रामसिंह शम्भूसिंह पुत्र रामसिंह शैतानसिंह पुत्र रामसिंह हरिसिंह पुत्र रामसिंह मनोहरसिंह पुत्र रामसिंह संयुक्त हिस्सा 10/66 उगमकंवर पत्नी रामसिंह हि0 1/66 चूनी कंवर पत्नी शिवसिंह हि0 1/2 बलवंतसिंह पुत्र भूपसिंह हि0 1/6 खुशबू कंवर पुत्री जोगसिंह दिलखुश कंवर पुत्री जोगसिंह दीक्षा राठौड़ पुत्री जोगसिंह संयुक्त हिस्सा 15/288 नाबालिग वली माता शोभाकंवर शोभाकंवर पत्नी जोगसिंह हि0 5/288 देवीसिंह पुत्र राणसिंह हि0 5/72 सुरमकंवर पुत्री राणसिंह एवनकंवर पुत्री राणसिंह संयुक्त हि0 2/72 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार रहन–जमाबंदी बदस्तूर	नया नगर	495 764 814 821 821	3.4652 4.5406 1.4265 1.1292 0.8227	बा0सो0 चा0सो0 चा0सो0 बा0अ0 बा0अ0
कुल किता 05 रकबा 11.3842 है0				
मदनसिंह पुत्र रामसिंह शम्भूसिंह पुत्र रामसिंह शैतानसिंह पुत्र रामसिंह हरिसिंह पुत्र रामसिंह मनोहरसिंह पुत्र रामसिंह संयुक्त हि0 10/66 उगम कंवर पत्नी रामसिंह हि0 1/66 बलवंतसिंह पुत्र भूपसिंह हि0 1/6 कूंपसिंह पुत्र हेमसिंह कमलसिंह पुत्र हेमसिंह संयुक्त हि0 1/8 खुशबू कंवर पुत्री जोगसिंह दिलखुश कंवर पुत्री जोगसिंह दीक्षा राठौड़ पुत्री जोगसिंह संयुक्त हि0 15/288 नाबालिग वली माता शोभाकंवर शोभाकंवर पत्नी जोगसिंह हि0 5/288 देवीसिंह पुत्र राणसिंह हि0 5/72 सुरमकंवर पुत्री राणसिंह एवनकंवर पुत्री राणसिंह संयुक्त हि0 2/72 छेलसिंह पुत्र सोहनसिंह जीवराजसिंह पुत्र सोहनसिंह संयुक्त हि0 2/12 उगमकंवर पत्नी सोहनसिंह हि0 1/12 कौम राजपूत सा0 देह खातेदार	नया नगर	766	5.6980	चा0सो0

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:36:03 IST
Reason: SelfAttested

रहन—जमाबंदी बदस्तूर				
कुल किता 01 रकबा 5.6980 है0				
अर्जुनसिंह पुत्र चिमनसिंह हि0 1/8 जगमालसिंह पुत्र चिमनसिंह हि0 1/8 देसुदेवी पत्नी चिमनसिंह हि0 1/12 मदनसिंह पुत्र रामसिंह शम्भूसिंह पुत्र रामसिंह शैतानसिंह पुत्र रामसिंह हरिसिंह पुत्र रामसिंह मनोहरसिंह पुत्र रामसिंह संयुक्त हिस्सा 10/99 उगम कंवर पत्नी रामसिंह हि0 1/99 चुनीकंवर पत्नी शिवसिंह हि0 1/3 बलवंतसिंह पुत्र भूपसिंह हि0 1/9 खुशबू कंवर पुत्री जोगसिंह दिलखुश कंवर पुत्री जोगसिंह दीक्षा राठौड़ पुत्री जोगसिंह नाबालिग वली माता शोभाकंवर संयुक्त हिस्सा 15/432 शोभाकंवर पत्नी जोगसिंह हि0 5/432 देवीसिंह पुत्र राणसिंह हि0 5/108 सुरमकंवर पुत्री राणसिंह एवनकंवर पुत्री राणसिंह संयुक्त हिस्सा 2/108 कौम राजपूत सा0 देह खातेदार रहन—जमाबंदी बदस्तूर	नया नगर	820 821	0.2460 0.4273	चा0सो0 बा0अ0
कुल किता 02 रकबा 0.6733 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:36:03 IST
Reason: SelfAttested

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर／उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:36:03 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2011 / 00004 दर्ज तिथिः–20.05.2011

चिमनसिंह के कायम मुकाम
1. अर्जुनसिंह पुत्र चिमनसिंह
2. जगमालसिंह पुत्र चिमनसिंह
3. देशुकंवर पत्नी चिमनसिंह

जाति राजपूत निवासी नया नगर तहसील गुडामालानी बाडमेर।

.......................वादी

बनाम

1. रामसिंह पुत्र भूपसिंह के कायम मुकाम
   1/1 मदनसिंह पुत्र रामसिंह
   1/2 शम्भूसिंह पुत्र रामसिंह
   1/3 शैतानसिंह पुत्र रामसिंह
   1/4 हरीसिंह पुत्र रामसिंह
   1/5 मनोहरसिंह पुत्र रामसिंह
   1/6 उगमकंवर पत्नी रामसिंह
   जाति राजपूत निवासी नया नगर, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
2. बलवन्तसिंह पुत्र भूपसिंह
3. जोगसिंह पुत्र राणसिंह के कायम मुकाम
   3/1 शोभाकंवर पत्नी जोगसिंह
   3/2 नाबालिग खुशबूकंवर पुत्री जोगसिंह
   3/3 नाबालिग दिलखुशकंवर पुत्री जोगसिंह
   3/4 नाबालिग दीक्षा राठोड़ पुत्री जोगसिंह
   जाति राजपूत निवासी नया नगर तहसील गुड़ामालानी
4. देवीसिंह पुत्र राणसिंह
5. रेखाकंवर पत्नी राणसिंह के कायम मुकाम
   5/1 एवनकंवर पुत्री राणसिंह
   5/2 सुरमकंवर पुत्री राणसिंह
   5/3 देवीसिंह पुत्र राणसिंह प्रतिवादी संख्या 4
6. शिवसिंह पुत्र अर्जुनसिंह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 12 चुनी कंवर पत्नी शिवसिंह
7. जीवराजसिंह पुत्र सोहनसिंह
8. छैलसिंह पुत्र सोहनसिंह
9. उगमकंवर पत्नी सोहनसिंह
10. कुंपसिंह पुत्र हेमसिंह
11. कमलसिंह पुत्र हेमसिंह
12. चुनीकंवर पत्नी शिवसिंह

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:36:03 IST
Reason: SelfAttested

जाति राजपूत निवासी नया नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.......................असल प्रतिवादी

13. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. गुड़ामालानी
14. शाखा प्रबंधक थार आंचलिक ग्रामीण बैंक सड़ा
15. तहसीलदार गुडामालानी।

..............तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री रामजीवन विश्नोई
प्रतिवादीगणः– एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:पर्चा डिक्रीः–

दावा वादी अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 766/5.6980 है0, 495/5.5442 है0, 764/4.5406 है0, 814/2.2824 है0, 820/2.2096 है0, 821/6.0217 है0 वाके ग्राम नया नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
अर्जुनसिंह पुत्र चिमनसिंह हि0 3/4 जगमालसिंह पुत्र चिमनसिंह हि0 3/4 देसुदेवी पत्नी चिमनसिंह हि0 1/4 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार रहन–जमाबंदी बदस्तूर	नया नगर	495 814 820 820 821	2.0790 0.8559 1.8697 0.0939 3.6425	बा0सो0 चा0सो0 चा0चार चा0चार बा0अ0
कुल किता 05 रकबा 8.5410 है0				
मदनसिंह पुत्र रामसिंह शम्भूसिंह पुत्र रामसिंह शैतानसिंह पुत्र रामसिंह हरिसिंह पुत्र रामसिंह मनोहरसिंह पुत्र रामसिंह संयुक्त हिस्सा 10/66 उगमकंवर पत्नी रामसिंह हि0 1/66 चूनी कंवर पत्नी शिवसिंह हि0 1/2 बलवंतसिंह पुत्र भूपसिंह हि0 1/6 खुशबू कंवर पुत्री जोगसिंह दिलखुश कंवर पुत्री जोगसिंह दीक्षा राठौड़ पुत्री जोगसिंह संयुक्त हिस्सा 15/288 नाबालिग वली माता शोभाकंवर शोभाकंवर पत्नी जोगसिंह हि0 5/288	नया नगर	495 764 814 821 821	3.4652 4.5406 1.4265 1.1292 0.8227	बा0सो0 चा0सो0 चा0सो0 बा0अ0 बा0अ0

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:36:03 IST
Reason: SelfAttested

देवीसिंह पुत्र राणसिंह हि0 5/72 सुरमकंवर पुत्री राणसिंह एवनकंवर पुत्री राणसिंह संयुक्त हि0 2/72 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार रहन—जमाबंदी बदस्तूर				
कुल किता 05 रकबा 11.3842 है0				
मदनसिंह पुत्र रामसिंह शम्भूसिंह पुत्र रामसिंह शैतानसिंह पुत्र रामसिंह हरिसिंह पुत्र रामसिंह मनोहरसिंह पुत्र रामसिंह संयुक्त हि0 10/66 उगम कंवर पत्नी रामसिंह हि0 1/66 बलवंतसिंह पुत्र भूपसिंह हि0 1/6 कूंपसिंह पुत्र हेमसिंह कमलसिंह पुत्र हेमसिंह संयुक्त हि0 1/8 खुशबू कंवर पुत्री जोगसिंह दिलखुश कंवर पुत्री जोगसिंह दीक्षा राठौड़ पुत्री जोगसिंह संयुक्त हि0 15/288 नाबालिग वली माता शोभाकंवर शोभाकंवर पत्नी जोगसिंह हि0 5/288 देवीसिंह पुत्र राणसिंह हि0 5/72 सुरमकंवर पुत्री राणसिंह एवनकंवर पुत्री राणसिंह संयुक्त हि0 2/72 छेलसिंह पुत्र सोहनसिंह जीवराजसिंह पुत्र सोहनसिंह संयुक्त हि0 2/12 उगमकंवर पत्नी सोहनसिंह हि0 1/12 कौम राजपूत सा0 देह खातेदार रहन—जमाबंदी बदस्तूर	नया नगर	766	5.6980	चा0सो0
कुल किता 01 रकबा 5.6980 है0				
अर्जुनसिंह पुत्र चिमनसिंह हि0 1/8 जगमालसिंह पुत्र चिमनसिंह हि0 1/8 देसुदेवी पत्नी चिमनसिंह हि0 1/12 मदनसिंह पुत्र रामसिंह शम्भूसिंह पुत्र रामसिंह शैतानसिंह पुत्र रामसिंह हरिसिंह पुत्र रामसिंह मनोहरसिंह पुत्र रामसिंह संयुक्त हिस्सा 10/99 उगम कंवर पत्नी रामसिंह हि0 1/99 चुनीकंवर पत्नी शिवसिंह हि0 1/3 बलवंतसिंह पुत्र भूपसिंह हि0 1/9	नया नगर	820 821	0.2460 0.4273	चा0सो0 बा0अ0

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:36:03 IST
Reason: SelfAttested

खुशबू कंवर पुत्री जोगसिंह दिलखुश कंवर पुत्री जोगसिंह दीक्षा राठौड़ पुत्री जोगसिंह नाबालिग वली माता शोभाकंवर संयुक्त हिस्सा 15/432 शोभाकंवर पत्नी जोगसिंह हि0 5/432 देवीसिंह पुत्र राणसिंह हि0 5/108 सुरमकंवर पुत्री राणसिंह एवनकंवर पुत्री राणसिंह संयुक्त हिस्सा 2/108 कौम राजपूत सा0 देह खातेदार रहन–जमाबंदी बदस्तूर				
कुल किता 02 रकबा 0.6733 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढ़ामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:36:03 IST
Reason: SelfAttested